



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127164

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19781 वर्ष 2026

अंकित कुमार राघवआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : अभय प्रताप सिंह, मनीष कुमार

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या 646 वर्ष 2025, धारा 80(2), 85, 115(2) एवं 352 भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना- जहांगीराबाद, जनपद- बुलंदशहर में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। वह मृतका छाया का पति है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व लगी चोटों के परिणामस्वरूप श्वासावरोध (Asphyxia) था। मृतका अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की थी तथा उसने क्रोधावेश में आत्महत्या कर ली। मृतका की छोटी बहन शीतल का विवाह आवेदक के छोटे भाई के साथ संपन्न हुआ था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यदि दहेज की कोई मांग होती, तो प्रथम सूचनाकर्ता अथवा मृतका के माता-पिता कभी भी मृतका की छोटी बहन का विवाह आवेदक के छोटे भाई के साथ करने के लिए सहमत नहीं होते। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि मृतका को दहेज की मांग के कारण क्रूरता एवं उत्पीड़न का शिकार बनाया गया। तथापि, जब दिनांक 05.05.2026 को विचारण न्यायालय के समक्ष पी.डब्ल्यू.-1 के रूप में उसका कथन अभिलिखित किया गया, तब उसने कहा कि न तो आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा कभी दहेज की मांग की गई और न ही मृतका को ऐसी किसी मांग के कारण क्रूरता अथवा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। विचारण के दौरान विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा पी.डब्ल्यू.-1/प्रथम सूचनाकर्ता को पक्षद्रोही घोषित कराया गया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि आवेदक दिनांक 26.11.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत दिए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, अतः वह जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।
5. मैंने पक्षकारों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
6. प्रथम सूचनाकर्ता/पी.डब्ल्यू.-1, मोहन ने विचारण के दौरान अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं किया तथा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया। बल्कि उसने यह कहा कि मृतका को दहेज की किसी मांग के कारण कभी उत्पीड़ित नहीं किया गया। वर्तमान वाद में आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 26.11.2025 से जेल में निरुद्ध है तथा विचारण के शीघ्र समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है।
7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, आवेदक द्वारा जेल में बिताई गई अवधि, किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय



पाता है कि आवेदक ने जमानत प्रदान किए जाने हेतु प्रथमदृष्टया आधार स्थापित किया है।

8. तदनुसार, जमानत आवेदन अनुमन्य किया जाता है।

9. आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त वाद अपराध में सम्मिलित आवेदक- अंकित कुमार राघव को न्यायालय संबंधित की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। साथ ही, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य हेतु तिथि नियत हो और साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि पर वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/धारा 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/धारा 209 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) वाद के उद्घाटन, (2) आरोप गठन तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि



विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह स्वतंत्र होगा कि वह ऐसे दोष को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करे।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

दिनांक : 15 जून, 2026

राधिका